हिमाचल प्रदेश
जल शक्ति विभाग

मध्यम सिंचाई परियोजना फिना सिंह

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
01–04–2020 से 31–03–2021

Administrative Report-2020-21.doc

“SAVE WATER SAVE LIFE”

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 01–04–2020 से 31–03–2021

विषय सूची

क्रम सं0	विवरण		पृष्ट
1	उद्देश्य एवं कार्य		1
2	प्रशासन व्यवस्था		2–3
3	विभागीय उपलब्धियां		3–4
4	पेयजल आपूर्ति		5
4.1	ग्रामीण पेयजल		5
4.2	जल जीवन मिशन		5
4.3	हैंण्डपम्प कार्यक्रम		6
4.4	शहरी जलापूर्ति		6
4.5	शहरी मल निकासी योजनाएं		6
4.6	सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट		6
5	सिंचाई		7–12
5.1	वृहद सिंचाई योजनाएं		8
5.2	मध्यम सिंचाई योजनाएं		8–11
5.3	लघु सिंचाई योजनाएं		11
5.4	प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना		11–12
5.5	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम		12
6	बाढ़ नियन्त्रण		12–16
6.1	स्वां नदी चैनलाईजेशन		13
6.2	जिला कांगड़ा में छोंछ खड्ड का चैनलाइजेशन		13–14
6.3	सीर खड्ड का तटीयकरण		14
6.4	बाटा नदी का तटीयकरण (सुंनकर)		15
6.5	ब्यास नदी का तटीयकरण (पलचन से औट तक)		15
6.6	पब्बर नदी का तटीयकरण		15
6.7	सुकेती खड्ड का तटीयकरण		16
7	मानव संसाधन विकास गतिविधियां		16–17
7.1	जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन		16–17
7.2	कम्प्यूटरीकरण		17
8	बाह्य सहायता		18
8.1	नेशनल हाईड्रोलॉजी परियोजना		18
8.2	नाबार्ड		18
9	सूचना का अधिकार अधिनियम		19–20
9.1	सूचना का अधिकार		19–20
9.2	सूचना अधिकार से सम्बन्धित प्रशिक्षण		20
10	लोक सेवा गारंटी एक्ट–2011		20–21
	प्रशासनिक एवं संरचना विवरणी		22
	अनुबन्ध "क"		23–29
	अनुबन्ध "ख"		30–31
	अनुबन्ध "ग"		32–33
	अनुबन्ध "घ"		34

"SAVE WATER SAVE LIFE"

1. विभाग के उद्देश्य/कार्य

- ग्रामीण व शहरी पेयजल क्षेत्र में जल एवं आधारभूत ढांचे का विकास
- कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना ।
- मल निकास ढांचे का विकास ।
- बाढ़ नियन्त्रण कार्यों का विकास ।

विभाग के उद्देश्य/कार्य	वर्ष 2020–21 में बजट प्रावधान (रूपये करोड़ों मे)
• ग्रामीण पेयजल योजनायें	423.76
• जल जीवन मिशन	589.73
• शहरी पेयजल योजनायें	45.00
• हैण्डपम्पों की स्थापना	3.15
• सिंचाई।	439.70
• **CAD**	47.99
• बाढ़ नियन्त्रण कार्य	79.05

2. प्रशासन व्यवस्थाः

हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग पूर्णतः प्रमुख अभियन्ता के अधीनस्थ है। यह विभाग मुख्यत: चार कार्य–क्षेत्रों में विभक्त है। (1) धर्मशाला क्षेत्र (2) शिमला क्षेत्र (3) मण्डी क्षेत्र तथा (4) हमीरपुर क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों का नियन्त्रण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं के पास है। शिमला क्षेत्र का मुख्यालय जल शक्ति भवन, शिमला–5 में, धर्मशाला क्षेत्र का धर्मशाला, मण्डी क्षेत्र का मण्डी और हमीरपुर क्षेत्र का मुख्यालय हमीरपुर में स्थित है। इन सभी का नियन्त्रण प्रमुख अभियन्ता के पास है। अधीक्षण अभियन्ता को हाईड्रोलॉजी का नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा इसका नियन्त्रण भी प्रमुख अभियन्ता के पास है। इसके अतिरिक्त फतेहपुर में प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) का कार्यालय स्थापित किया गया है। जल शक्ति विभाग को सुदृढ़ तरीके से चलाने हेतु, प्रमुख अभियन्ता के अधीन मुख्यालय में एक मुख्य अभियन्ता (रूपांकण एवं अनुश्रवण) है। इसके अतिरिक्त 3 अधीक्षण अभियन्ता (कार्य) तथा योजना एवं अन्वेषण इकाई–1 व 2 मुख्यालय में कार्यरत हैं। अधीक्षण अभियन्ता योजना एवं अन्वेषण को ग्रामीण व शहरी पेयजल आपूर्ति, मल निकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं की प्लानिंग तथा मुख्यालय का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त शिमला में प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं मुख्य अभियन्ता के अधीन हि0 प्र0 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना के प्रबन्धन व कार्यान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमैंट युनिट (PMU) की स्थापना की गई है जिसका नियन्त्रण भी प्रमुख अभियन्ता के पास है। शिमला क्षेत्र के अधीन मुख्यालय में एक अधीक्षण अभियन्ता (रूपांकण) भी कार्यरत है जो कि शिमला क्षेत्र के प्राक्कलनों की जांच पड़ताल करते है।

उपरोक्त कार्यकारी क्षेत्रो के अधीन वृतों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

1. धर्मशाला क्षेत्र

1. जल शक्ति वृत, धर्मशाला
2. जल शक्ति वृत, नूरपुर
3. जल शक्ति वृत, चम्बा

2. शिमला क्षेत्र

1. जल शक्ति वृत, शिमला–9
2. जल शक्ति वृत, रिकाँग–पिओ
3. जल शक्ति वृत, नाहन
4. जल शक्ति वृत, रोहड़ू
5. जल शक्ति वृत, सोलन

3. मण्डी क्षेत्र

1. जल शक्ति वृत, सुन्दरनगर
2. जल शक्ति वृत, कुल्लू
3. स्वां नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना वृत ऊना।

4. हमीरपुर क्षेत्र

1. जल शक्ति वृत, हमीरपुर
2. जल शक्ति वृत, ऊना
3. जल शक्ति वृत, बिलासपुर

5. फतेहपुर क्षेत्र

1. स्वां नदी फ्लड मेनेजमैंट परियोजना वृत, ऊना।

प्रत्येक वृत को मण्डलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मण्डल का नियन्त्रण एक अधिशासी अभियन्ता के पास है। इस विभाग में कुल 62 मण्डल व एक भू–जल सगंठन कार्यरत है ।

प्रत्येक मण्डल को आगे उप–मण्डलों में बांटा गया है जिनका नियन्त्रण सहायक अभियन्ताओं के अधीन होता है। इस समय विभाग में कुल 207 उप–मण्डल कार्यरत हैं।

प्रत्येक मण्डल, उप–मण्डल के स्थान निर्धारण की स्थिति अनुबन्ध "क" में दर्शाई गई है।

इस विभाग में अधिकारी व कर्मचारी वर्ग के 31–03–2021 तक कुल 23819 स्वीकृत पद हैं जिनमें 11780 वर्कचार्ज जिन्हें रेगुलर काडर कर्मचारियों में पद लाया गया भी सम्मिलित हैं। पदों के आंकड़ों का विवरण अनुबन्ध "ख", "ग", और "घ" में दर्शाया गया है ।

3 विभागीय उपलब्धियां

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमः

- वर्ष 2020–21 में 540 आंशिक रूप से पेयजल उपलब्धता वाली बस्तियां लक्षित थी इसके अन्तर्गत मार्च, 2021 तक 546 बस्तियों को पूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में भारत सरकार से 547.48 करोड़ रूपये प्राप्त हुए तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 540 आंशिक रूप से पेयजल उपलब्धता वाली बस्तियों को मार्च, 2021 तक पूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

शहरी पेयजल योजना

- प्रदेश में 54 शहरों में से 52 शहरों की पेयजल योजनाओं का विस्तार व रख–रखाव का कार्य सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पास है। तथा शेष 2 शहरों में से शिमला की पेयजल योजना शिमला जल प्रबन्धन बोर्ड तथा परवाणु शहर की पेयजल योजना हिमुडा के अधीन है।
- प्रदेश के सभी शहरों में पानी की सुविधा उपलब्ध है परन्तु कुछ शहरों की पेयजल योजनाएं पुरानी होनें के कारण विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं का सम्वर्धन कार्य चरणबद्ध ढंग से करवाया जा रहा है।

सिंचाई

- प्रदेश का कुल कृषि योग्य क्षेत्र 5.83 लाख हैक्टेयर है जिसमें से सिंचाई योग्य क्षेत्र 3.35 लाख हैक्टेयर है। मार्च, 2021 तक 2.86 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2020–21 में मध्यम व लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 5437.98 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 5440.98 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

MIP Phina Singh

बाढ़ नियन्त्रण

प्रदेश का लगभग 2.31 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है जिसमें से मार्च, 2021 तक 30578.54 हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ के खतरे से सुरक्षित कर लिया गया है। वर्ष 2020–21 के लिए बाढ़ नियन्त्रण के अन्तर्गत 986.36 हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से बचाने का लक्ष्य रखा गया था जिसके तहत 1050.72 हैक्टेयर भूमि का बचाव किया गया है।

जल संशोधन संयन्त्र गिरी पेयजल योजना शिमला

पेयजल आपूर्ति

4.1 ग्रामीण पेयजल :–

वर्ष 2020–21 में 540 बस्तियां लक्षित थी इसके अन्तर्गत मार्च, 2021 तक 546 बस्तियों को पूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

वर्ष 2020–21 में ग्रामीण पेयजल क्षेत्र की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्षेत्र	परिव्यय (करोड़ो में) 2020–21	व्यय (करोड़ो में) (1–4–2020 से 31–03–2021 तक)	भौतिक लक्ष्य (बस्तियाँ) (1–4–2020 से 31–03–2021 तक)	भारत सरकार द्वारा संशोधित भौतिक लक्ष्य (बस्तियाँ)	उपलब्धियां 1–4–2020 से 31–3–2021 (बस्तियां)
ग्रामीण पेयजल योजना (राज्य)	423.76	447.60	54	54	28
ग्रामीण पेयजल योजना जल जीवन मिशन (केन्द्रीय)	547.48	426.75	486	486	518
योग	971.24	874.35	540	540	546

4.2 जल जीवन मिशन :

भारत के माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा 3.5 लाख करोड़ रूपये परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन का प्रारम्भ किया गया है। इसका उद्येश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कुनैक्शन (Functional Household Tap Connection) प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्येश्य घरेलू स्तर पर पेयजल सेवा वितरण करना है अर्थात् नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवता के आधार पर पानी की आपूर्ति करना। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश में जुलाई, 2022 तक 100 प्रतिशत परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection) उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 2020–21 में 3.80 लाख नल स्थापित किये गए हैं। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2020–21 में 547.48 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

Year wise Physcial & Financial Achievement		
Year/Period	Physical Achievement (FHTC)	Expenditure In (Rs. Crore)
2019-20	161123	213.33
2020-21	380028	371.26

भारत सरकार द्वारा चलाये गए 100 दिनों के कार्यक्रम के अन्तर्गत शत–प्रतिशत स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों को पेयजल नालों की सुविधा से जोड़ दिया गया है। फीड टेस्ट किट (FTK) का उपयोग करके पेयजल स्त्रोतों और वितरण बिन्दुओं के नियमित और स्वंतत्र परीक्षण के लिए पंचायती राज संस्थानों को प्रशिक्षण देकर पेयजल की गुणवत्ता और निगरानी गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में 14 जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में से 14 प्रयोगशालाओं NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) से मान्यता प्राप्त है। हर व्यक्ति को पेयजल का महत्व समझाने हेतु स्थानीय समुदाय के बीच सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) को भी सुनिश्चित किया गया है।

4.3 हैण्डपम्प कार्यक्रम :

प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति स्तर में वृद्धि के लिए हैण्डपम्पों की स्थापना की गई है। 31–03–2021 तक प्रदेश में कुल 40624 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

4.4 शहरी जल आपूर्ति :

प्रदेश के कुल 61 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों में से 59 शहरों/शहरी स्थानीय निकायो की पेयजल योजनाओं का विस्तार व रख–रखाव का कार्य जल शक्ति विभाग के पास है तथा शेष 2 शहरों में से शिमला की पेयजल योजना शिमला जल प्रबन्धन बोर्ड तथा परवाणु शहर की पेयजल योजना हिमुडा के अधीन है। शिमला शहर को मिला कर कुल 40 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों की पेयजल योजनाओं में सुधार का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 7 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों में कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2020–21 में 45.00 करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान था।

4.5 शहरी मल निकासी योजनाएं :

राज्य में कुल 61 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों में से शिमला शहर सहित 32 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है जिनमें से 5 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों में up-gradation का कार्य भी किया जा रहा है। 11 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों में कार्य प्रगति पर है व शेष 18 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों की योजनाएं State Head/AFD को वित्त पोषण हेतु भेजी गई हैं।

4.6 सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट :

राज्य में 65 सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट संचालित है जिनमें से 59 सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांटों के रख–रखाव का कार्य जल शक्ति विभाग के पास है व शिमला शहर के 6 सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांटों के रख–रखाव का कार्य शिमला जल प्रबन्धन बोर्ड के अधीन हैं। राज्य के सभी 65 सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांटों की कुल स्थापित क्षमता 110.72 एम0 एल0 डी0 है जिनमें से शिमला शहर के 6 सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांटों की स्थापित क्षमता 26.06 एम0एल0डी0 व शेष 59 सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांटों की स्थापित क्षमता 84.02 एम0 एल0 डी0 है राज्य में अन्य 23 सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांटों का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2020–21 में 2200 सीवरेज कुनैक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 2030 कुनैक्शन 31.03.2021 तक लगा दिये गए हैं। 0.45 MLD capacity का सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट स्थापित करने का भी लक्ष्य था जिसके लिए नारकण्डा में सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट स्थापित कर दिया गया है।

5. सिंचाई

प्रदेश में कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 5.83 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य है जिसमें से 3.35 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बृहद व मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकता है। मार्च, 2021 तक 2.86 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है ;–

क्रम संख्या	शीर्ष – उपशीर्ष	कुल क्षेत्र जो 31–3–2021 तक सिंचाई के अधीन लाया गया।		कुल क्षेत्र
		सिंचाई विभाग	ग्रामीण विकास विभाग / कृषि विभाग	
1.	लघु सिंचाई योजनाएं	148225 है0	100657 है0	248883 है0
2.	वृहद सिंचाई योजनाएं	15287 है0	–	15287 है0
3.	मध्यम सिंचाई योजनाएं	22291 है0	–	22291 है0
	योगः–	1,85,803 है0	100,657 है0	2,86,461 है0

5.1 वृहद सिंचाई योजनाएं :–

प्रदेश में शाहनहर सिंचाई योजना एक मात्र वृहद योजना है। इस परियोजना का निर्माण संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। इस परियोजना की स्वीकृत राशि 387.22 करोड़ रूपये है। इस परियोजना का कार्य मार्च, 2013 में पूर्ण कर लिया गया है और इसके अन्तर्गत 15287 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस परियोजना की प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जा चुकी है ताकि इस परियोजना को पूर्ण व केन्द्रीय सहायता योजनाओं से हटाया जा सके। इस परियोजना में कमान विकास क्षेत्र योजना शुरू की

जा चुकी है तथा मार्च, 2018 तक 9807 हैक्टेयर भूमि को कमान विकास क्षेत्र योजना के अन्तर्गत लाया जा चुका है। पहले CAD परियोजना की DPR मार्च, 2012 में 68.00 करोड़ रूपये की स्वीकृत हुई थी जो कि अब 95.59 करोड़ रूपये की स्वीकृत हुई है।

परियोजना में कमान विकास क्षेत्र का कार्य आरम्भ किया जा चुका है तथा अभी तक 9807 हैक्टेयर भूमि को कमान विकास क्षेत्र के अधीन लाया जा चुका है तथा 79.43 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके है। शेष कार्य भारत सरकार की नई ISBIG के अधीन पूरा किया जाएगा जिसे की भारत सरकार द्वारा 2016–17 में शामिल किया है। इस योजना को सैद्धांन्तिक तौर पर स्कीम में शामिल किया जा चुका है। विभाग ने 75.21 करोड़ रूपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को ISBIG के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार कर STAC की स्वीकृति के बाद भारत सरकार की स्वीकृति व वित्तीय सहायता हेतु मार्च, 2018 को प्रेषित कर दी गई है।

5.2 मध्यम सिंचाई योजनाएं :–

चार मध्यम सिंचाई योजनाओं जैसे जिला सिरमौर में गिरी सिंचाई परियोजना (5262 है0) मण्डी में बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना (2410 है0), व जिला ऊना में भबौर साहिब (प्रथम) (923 है0) एवं द्वितीय चरण सिंचाई परियोजना (2640 है0) का निर्माण कार्य पूर्ण कर उन्हें चालू कर दिया गया है। जहां तक इनके कमान क्षेत्र विकास कार्य का सम्बन्ध है, फील्ड चैनल व बाराबन्दी का कार्य परियोजनाओं पर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जिला बिलासपुर में चंगर सिंचाई परियोजना (2350 है0) का निर्माण कार्य पूर्ण करके चालू कर दिया गया है।

मध्यम सिंचाई परियोजना सिधाता :–

इस परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत 3150 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस परियोजना पर कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 21.33 करोड़ रूपये की स्वीकृति भारत सरकार से मार्च, 2016 में प्राप्त हुई है तथा वर्ष 2016–17 में कमान क्षेत्र विकास का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। इस योजना पर मार्च, 2018 तक 13.10 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके हैं। वर्ष 2016–17 में भारत सरकार ने CAD कार्यों को पूरा करने के लिए एक नई योजना Incentivisation Scheme for Bridging Irrigation Gap (ISBIG) बनाई है जिसमें इस परियोजना को शामिल किया गया है। अगस्त, 2017 में इस योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को STAC से 18.70 करोड़ रूपये की ISBIG के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित करवा कर भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय को ISBIG कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति व वित्तीय सहायता हेतु मार्च, 2018 को प्रेषित कर दी गई है।

मध्यम सिंचाई योजना बल्ह वैली (बांयां किनारा)

इस परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस परियोजना की संशोधित लागत 103.86 करोड़ रूपये है और इसके अन्तर्गत 2780 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। भारत सरकार ने CAD कार्यों को पूरा करने के लिए वर्ष

2016–17 में नई योजना Incentivisation Scheme for Bridging Irrigation Gap (ISBIG) बनाई है जिसमें इस परियोजना को शामिल किया गया है। अगस्त, 2017 में इस योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को STAC से 17.25 करोड़ रूपये की ISBIG के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित करवाकर भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय को ISBIG कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति व वित्तीय सहायता हेतु मार्च, 2018 को प्रेषित कर दी गई है।

फिना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजनाः–

इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है तथा पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च, 2023 रखा गया है। इस परियोजना की संशोधित लागत 204.51 करोड़ रूपये है तथा CCA 4025 हैक्टयेर है। इसमें टनल बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और मार्च, 2021 तक इस परियोजना पर 265.41 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके हैं और इस योजना का कार्य 65 प्रतिशत हो चुका है। इस परियोजना की संशोधित डी0पी0आर0 614.31 करोड़ रूपये की निदेशक, CWC को तकनीकी चैकिंग के लिए भेजी गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत CAD activities के लिए पहले CCA create करना होगा। CAD कार्य शुरू करने के लिए 41.73 करोड़ रूपये की DPR तैयार कर भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी गई है। इस परियोजना को PMKSY-AIBP के अन्तर्गत पूरे देश की 22 परियोजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इन 22 परियोजनाओं की सूची में से हिमाचल प्रदेश की इस मध्यम सिंचाई परियोजना को भी शामिल किया गया है। स्वीकृति अभी अपेक्षित है।

नादौन मध्यम सिंचाई परियोजनाः–

इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना की स्वीकृत राशि 97.59 करोड़ रूपये थी। वर्ष 2016 में योजना को भारत सरकार से 156.31 करोड़ रूपये की संशोधित DPR स्वीकृत करवाई गई है। इस परियोजना का कार्य मार्च, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है यदि भारत सरकार से केंन्द्रीय सहायता प्राप्त हो जाती है। इससे 2980 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना को भी

भारत सरकार की नई योजना Incentivisation Scheme for Bridging Irrigation Gap (ISBIG) में शामिल किया गया है। CAD की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को ISBIG के दिशानिर्देशों के अनुसार State Technical Advisory Committee से 17.79 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त कर भारत सरकार को अनुमोदन तथा वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित कर दी गई। मार्च, 2021 तक 143.63 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है। लेफ्ट बैंक का काम पूरा हो चुका है और टेस्टिंग जारी है। बाएं किनारे में जल शक्ति विभाग का काम 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है और SOP काम प्रगति पर है। इस योजना को PMKSY-AIBP के अन्तर्गत पूरे देश की 22 परियोजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इन 22 परियोजनाओं की सूची में से हिमाचल प्रदेश की इस मध्यम सिंचाई परियोजना को भी शामिल किया गया है। स्वीकृति अभी अपेक्षित है।

पीएमकेएसवाई – एआईबीपी के अंतर्गत शामिल करने/वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं :

मध्यम सिंचाई परियोजना सुखाहर जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

इसकी अनुमानित लागत 153.80 करोड़ रू. मूल्य स्तर 2015, (संशोधित अनुमानित लागत 220.48 करोड़ रूपये) मूल्य स्तर 2019 (सीसीए 2186 हैक्टेयर) MoWR, RD & GR, CWC नई दिल्ली की TAC द्वारा दिनांक 16.11.2018 को 153.80 करोड़ रूपये राशि की परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। 21,22 सितंबर, 2020 को आयोजित 5वीं बैठक में राज्य स्तरीय ईआईए प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण मंजूरी दी गई है। सीडब्ल्यूसी नई दिल्ली को निवेश मंजूरी के लिए प्रस्ताव दिनांक 11.01.2021 को भेजा गया। इस योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 99 प्राथमिकता वाली परियोजना के तहत 03 जुलाई, 2019 को भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 220.48 करोड़ रूपये है जिसके अन्तर्गत 2186 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का प्रावधान लिया गया है। स्वीकृति अपेक्षित है।

मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

इस परियोजना की अनुमानित लागत 194.47 करोड़ रूपये (मूल्य स्तर 2015 पर) और संशोधित लागत 263.55 करोड़ रूपये, सीसीए 2590 हैक्टेयर MoWR, RD&GR, CWC नई दिल्ली के TAC द्वारा दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को 194.47 करोड़ रूपये की स्वीकृति और निवेश मंजूरी प्रदान की जानी है। इस परियोजना को TAC MOWR भारत सरकार द्वारा 194.47 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है व इसके तहत सिंचित क्षेत्र 2590 हैक्टेयर होना हैं। इसकी investment clearance अभी तक भारत सरकार से अपेक्षित है। इस परियोजना को भारत सरकार के 99 Priority Project में शामिल करने के लिए भी 03, जुलाई 2019 को भारत सरकार को भेजे गए हैं। इस परियोजना को भारत सरकार की NIP योजना में भी शामिल व वित्तीय सहायता के लिए भी भेजा गया है। स्वीकृति अपेक्षित है।

मध्यम सिंचाई परियोजना सत्यार खड्ड जिला मंडी (हि.प्र.)

इस परियोजना की अनुमानित लागत 232.48 करोड़ रूपये, सीसीए 2306 हैक्टेयर प्रदेश में 232.48 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। MoWR, RD&GR, CWC नई दिल्ली की TAC द्वारा अनुमोदन और निवेश मंजूरी दी जानी है, जिसके लिए सीडब्ल्यूसी को डैम के निर्माण के लिए परामर्श का काम प्रगति पर है।

5.3 लघु सिंचाई योजनाएं :–

प्रदेश में 3.35 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में लघु सिंचाई द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है जिसमें से मार्च, 2021 तक कुल 2.86 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जल शक्ति विभाग द्वारा 148225 हैक्टेयर क्षेत्र व ग्रामीण विकास द्वारा 100657 हैक्टेयर क्षेत्र में यह सुविधा प्रदान की गई है।

वर्ष 2020–2021 में लघु सिंचाई के अन्तर्गत निर्धारित 4437.98 हैक्टेयर लक्ष्य के अन्तर्गत 3/2021 तक 3932.05 हैक्टेयर क्षेत्र में यह सुविधा प्रदान की गई है।

5.4 प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

वर्ष 2015–16 में केन्द्र सरकार द्वारा Flagship Programme के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई जिसका मुख्य उद्देश्य पानी का संरक्षण व हर खेत को पानी पहुंचाना, कृषि योग्य भूमि को सिंचाई के अधीन लाना व अधिक से अधिक कृषि उत्पादन बढ़ाना है। ए0आई0बी0पी0 तथा CADWM Programme भी इसी योजना में शामिल किए गए है। प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) योजना की Guidelines के अनुसार District Irrigation Plan & State Irrigation Plan सभी 12 जिलों के लिए तैयार कर लिए गए हैं जिसके अंतर्गत वर्ष 2016 से 2020 तक 5663.54 लाख रूपये व्यय कर 186018 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2017–18 में 111 लघु सिंचाई योजनाओं का शेल्फ को भारत सरकार से स्वीकृत करवाया गया जिसकी अनुमानित राशि 33818.46 लाख रूपये तथा 17880.86 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी।

इन योजनाओं के लिए भारत सरकार की केंद्रीय सहायता के रूप में 253.3620 करोड़ रूपये प्राप्त किए जा चुके हैं तथा मार्च, 2021 तक 281.5136 करोड़ रूपये व्यय कर लिए गए हैं तथा 11366.16 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(2) भारत सरकार की "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के "हर खेत को पानी" घटक के अंतर्गत स्वीकृत चार अन्य लघु सिंचाई योजनाएं:–

3534.09 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के "हर खेत को पानी" घटक के अन्तर्गत 87.35 करोड़ रूपये 4 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए थे। भारत सरकार द्वारा इन 4 लघु सिंचाई योजनाओं के शैल्फ के क्रियान्वयन हेतु 69.82 करोड़ रूपये मार्च, 2021 तक

जारी कर दिये गए है। राज्य सरकार द्वारा केंन्द्र से प्राप्त व राज्य शेयर सहित 77.57 करोड़ रूपये इस शैल्फ पर खर्च कर दिये गए हैं तथा मार्च, 2021 तक 3147.59 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के अधीन लाया जा चुका है। इन चार योजनाओं में से "उठाऊ सिंचाई योजना बिंग" पूर्ण कर ली गई है शेष तीन योजनाओं को मार्च, 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

5.5 कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

विभाग द्वारा मार्च, 2019 तक वृहद व मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत 36638 हैक्टेयर व लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत 138804.78 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जिसमें से मार्च, 2018 तक वृहद व मध्यम सिंचाई योजनाओं का 45 प्रतिशत तथा लघु सिंचाई योजनाओं का utilization 42% है। भारत सरकार ने CAD कार्यों को पूरा करने के लिए एक नई योजना Incentivisation Scheme for Bridging Irrigation Gap (ISBIG) बनाई है जिसके अन्तर्गत प्रदेश की 5 परियोजनाएं व 23 लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत हुई है को सैद्धांतिक तौर में शामिल किया गया है जिसमें 26805 हैक्टेयर क्षेत्र को कमान क्षेत्र विकास के अन्तर्गत लाना प्रस्तावित है।

हिमकैड (HIMCAD)

हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2017–18 में राज्य में निर्मित क्षमता और संभावित उपयोग में अन्तर को कम करने के लिए "HIMCAD" योजना आरम्भ की थी ताकि सिंचाई जल का संरक्षण व सदुपयोग हो एवं फसलों का विविधिकरण और एकीकृत कृषि हो सके। इस योजना के अन्तर्गत 274 लघु सिंचाई योजनाओं के 15242 हैक्टेयर कमान क्षेत्र विकास के लिए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (STAC) द्वारा 128.40 करोड़ रूपये का शैल्फ मंजूर किया गया है। अभी तक राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 92.00 करोड़ उपलब्ध करवाए गए हैं तथा शेष 36.40 करोड़ की राशि इस कार्य को सम्पूर्ण करने के लिए वांछित है। इस वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 45.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 274 लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत 379 पूर्ण हो चुकी लघु सिंचाई योजनाओं के 23344.18 हैक्टेयर कमान क्षेत्र विकास के लिए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (STAC) की 61वीं मीटिंग के द्वारा 305.70 करोड़ का शैल्फ मंजूर किया गया है।

6. बाढ़ नियन्त्रण

प्रदेश में अनुमानित 2.31 लाख हैक्टेयर क्षेत्र प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। मार्च, 2021 तक कुल 30578.54 हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ के खतरे से बचाया जा चुका है। वर्ष 2020–2021 के लिए बाढ़ नियन्त्रण के अन्तर्गत 986.36 हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से बचाने का लक्ष्य रखा गया था जिसके तहत 1050.72 हैक्टेयर भूमि का बचाव किया गया।

6.1 जिला ऊना में स्वां नदी का चैनलाइजेशन

जिला ऊना में स्वां नदी के तटीयकरण के प्रथम व द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और क्रमशः 2260 हैक्टेयर व 5000 हैक्टेयर भूमि को री–क्लेम किया गया है। तृतीय चरण में संतोखगढ़ पुल से आर0डी0 2500 से 1500 तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 165 हैक्टेयर भूमि को री–क्लेम किया गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। इस योजना पर 1352.69 लाख रूपये व्यय किए जा चुके है। इसी प्रकार स्वां नदी तटीयकरण चरण–4 में दौलतपुर पुल से गगरेट पुल तक मुख्य स्वां नदी और दौलतपुर पुल से संतोषगढ़ पुल तक मिलनें वाली सभी सहायक नदियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 922.49 करोड़ रूपये की स्वीकृत है। इस योजना के अन्तर्गत 7163.49 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया जा सकेगा। इस योजना पर मार्च, 2021 तक 891.92 करोड़ रूपये व्यय करके 392.60 कि0 मी0 तटबांध बनाकर 7277.91 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया जा चुका है। इस परियोजना का कार्य भारत सरकार के Flood Management Programme के अन्तर्गत किया जा रहा है जिसके अनुसार अनुमानित लागत का 70% केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा 30% राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा।

स्वां नदी चैनलाईजेशन

6.2 जिला कांगड़ा में छोंछ खड्ड का चैनलाइजेशन

छोंछ खड्ड का चैनलाइजेशन की DPR 179.59 करोड़ रूपये की भारत सरकार के जल संसाधन मन्त्रालय से वर्ष 2013 में अनुमोदित करवाई गयी थी। इसके अन्तर्गत खड्ड के दोनों तरफ 68 कि0 मी0 तटबंध बनाकर 35 गाँवों की 1740 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया जाना प्रस्तावित है। चैनेलाइजेशन का कार्य वर्ष 2014 में भारत सरकार के बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम (Flood Management Programme) के अन्तर्गत शुरू किया गया था, जिसके अनुसार 112.35 करोड़ रूपये भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाने थे लेकिन योजना का 50 प्रतिशत से कम कार्य होने के कारण भारत सरकार ने (Flood Management Programme) के अन्तर्गत दी जा रही

केन्द्रीय सहायता को वर्ष 2019 में रोक दिया। मार्च, 2021 तक प्रस्तावित 68 कि0 मी0 में से 25 कि0 मी0 तटबांध बनाकर 450 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया जा चुका है। इस कार्य पर मार्च, 2021 तक 66.44 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके हैं जिसमें 26.20 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई केन्द्रीय सहायता सम्मिलित हैं।

इस योजना के बचे हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए संशोधित डी0पी0आर0 भी तैयार कर ली गई है, जिसकी अनुमानित लागत 334.52 करोड़ रूपये है। संशोधित डी0पी0आर0 तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन (Techno-Economic Appraisal) के लिए केन्द्रीय जल आयोग, (CWP) नई दिल्ली को भेज दी गई है, जिसे वहाँ चैक किया जा रहा हैं।

6.3 सीर खड्ड का तटीयकरण

जाहु से बम्म तहसील घुमाहरवीं जिला बिलासपुर तक सीर खड्ड के तटीयकरण का कार्य केन्द्र सरकार के Flood Management Programme के अन्तर्गत 14.25 करोड़ रूपये व्यय कर पूर्ण कर लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत 120 हैक्टेयर भूमि का बाढ़ से बचाव किया गया है। मार्च, 2020 तक केन्द्र सरकार ने Flood Management Programme के अन्तर्गत इस योजना के लिए 498.75 लाख रूपये ही जारी किए गये थे। शेष कें्द्रीय सहायता जारी करवाने के लिए मामला केन्द्र सरकार से उठाया गया था, जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार के जल संसाधन विभाग ने दिनांक 28–09–2020 को पत्र संख्या Z-15014/2/2020-O/O DC (FM)-MoWR दिनांक 28–09–2020 इस योजना की बची हुई 498.75 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता भी राज्य सरकार को जारी कर दी है।

जिला मण्डी के बड़े भू–भाग को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए बरछबाड़ से जाहू पुल तक सीर खड्ड के तटीयकरण के प्रस्ताव को भारत सरकार के जल शक्ति मन्त्रालय के जल संसाधन विभाग की सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09–12–2019 को हुई 143वीं0 बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस कार्य की अनुमानित लागत 157.66 करोड़ रूपये है तथा इसके अन्तर्गत 115 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया जाना प्रस्तावित हैं। योजना का कार्य भारत सरकार की Centrally Sponsored Scheme, Flood Management & Border Areas Programme (FMBAP) के अन्तर्गत वर्ष 2021–2026 में किया जाना प्रस्ताावित है, जिसके लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है।

भारत सरकार के जल शक्ति मन्त्रालय के जल संसाधन विभाग की Investment Clearance Committee की दिनांक 07–08–2020 को हुई बैठक की संस्तुति के अनुसार इस परियोजना की दिनांक 30–09–2020 को निवेश स्वीकृति द्वारा इस कार्य को Investment Clearance प्रदान कर दी गई हैं।

6.4 बाटा नदी का तटीयकरण (सुंनकर)

बाटा नदी तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर की 0 से 8300 (सुंनकर) के तटीयकरण का कार्य केन्द्र सरकार के Flood Management Programme के अन्तर्गत पूर्ण कर लिया गया है। जिसके अन्तर्गत 11.560 कि0 मी0 तटबंध बनाकर 584.60 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया गया है। इस कार्य की कुल लागत 13.27 करोड़ रूपये है। केन्द्र सरकार द्वारा Flood Management Programme के अन्तर्गत मार्च, 2020 तक इस योजना के लिए 241.57 लाख रूपये ही जारी किए गए थे। शेष केंन्द्रीय सहायता जारी करवाने के लिए मामला केन्द्र सरकार से उठाया गया था, जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार के जल संसाधन विभाग ने दिनांक 17–09–2020 को पत्र संख्या F.No.Z15014/7/2020-FM/1980-99 दिनांक 17–09–2020 द्वारा इस योजना के लिए बची हुई 687.879 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता भी राज्य सरकार को जारी कर दी है। इस योजना की Project Completion Report तैयार कर ली गई हैं।

6.5 ब्यास नदी का तटीयकरण (पलचन से औट तक)

ब्यास नदी का तटीयकरण पलचन से औट जिला कुल्लू में करवाने का प्रस्ताव है। इसकी डी0पी0आर0 को STAC से 1155.15 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना से 1116.93 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया जाएगा। डी0पी0आर0 भारत सरकार से कुछ आपत्तियों सहित वापिस प्राप्त हुई है जिन्हे दूर करने उपरान्त मामला पुनः भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

6.6 पब्बर नदी का तटीयकरण (टिक्करी से हाटकोटी तक)

पब्बर नदी का तटीयकरण टिक्करी से हाटकोटी तक तहसील चिड़गांव जिला शिमला के प्रस्ताव को भारत सरकार के जल शक्ति मन्त्रालय के जल संसाधन विभाग की सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25–05–2015 को हुई 125वीं0 बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस कार्य की अनुमानित लागत 190.82 करोड़ रूपये है तथा इसके अन्तर्गत 177.68 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का कार्य भी भारत सरकार की Centrally Sponsored Scheme, Flood Management & Border Areas Programme (FMBAP) के अन्तर्गत वर्ष 2021–2026 में किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है।

भारत सरकार के जल शक्ति मन्त्रालय के जल संसाधन विभाग की Investment Clearance Committee की दिनांक 07–08–2020 को हुई बैठक की संस्तुति के अनुसार इस परियोजना की दिनांक 30–09–2020 को निवेश स्वीकृति द्वारा इस कार्य को Investment Clearance प्रदान कर दी गई है।

6.7 सुकेती खड्ड का तटीयकरण

सुकेती खड्ड का तटीयकरण जिला मण्डी में करवाने का प्रस्ताव है। जिसके लिए 398.35 करोड़ रूपये की संशोधित डी0पी0आर0 तैयार कर ली गई है। योजना के अन्तर्गत 881 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया जाएगा। यह डी0पी0आर0 CWC, New Delhi के विभिन्न निदेशालयों द्वारा 485.23 करोड़ रूपये के लिए Check कर दी गई है तथा अब इसे स्वीकृति के लिए Advisory committee, DOWR, MOJS को CWC द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। जैसे ही भारत सरकार द्वारा इसे स्वीकृति दी जाती है, इस कार्य को भी भारत सरकार की Centrally Sponsored Scheme, Flood Management & Border Area Programme (FMBAP) के अन्तर्गत 2021–26 में किया जाना प्रस्तावित हैं।

7. मानव संसाधन विकास गतिविधियां

7.1 जल एवम् स्वच्छता सहयोग संगठन (डब्ल्यू0 एस0 एस0 ओ0)

1. फील्ड टैस्ट किट (FTK) के माध्यम से पेयजल की गुणवत्ता की जांच में सामुदायिक सहयोग हेतू 13888 महिलाओं (पाँच महिला हर पंचायत से) को प्रशिक्षण दिया गया।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर 104171 जल नमूनों की जांच फिल्ड टैस्ट किट (FTK) के माध्यम से की गई एवं 153477 जल नमूनों की जांच विभागीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में की गई।
3. राज्य स्तर पर रेडियों एवं टेलिविजन के माध्यम से शुद्व जल, जल प्रबन्धन एवं जल जनित रोगों से बचाव व वर्षा जल संग्रहण पर संदेश जारी किये गए।
4. जिला स्तर पर जल जीवन मिशन (JJM) पर आधारित विज्ञापन तथा हर ग्राम पंचायत में दिवार लेखन किया गया।
5. ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए मार्गदर्शिका पुस्तक की प्रत्तियाँ हर पंचायत में वितरित की गई।
6. राज्य स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जो कि NABL पर आधारित थी, जिसमें अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परामर्शदाता व सहायक अभियन्ता, तक के अधिकारियों ने भाग लिया।
7. 22 मार्च, 2021 को विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो माननीय मुख्यमन्त्री एवं माननीय जल शक्ति मन्त्री, हि0 प्र0 की अध्यक्षता में जंजैहली मण्डी में आयोजित किया गया।
8. राज्य स्तर 527 विभागीय प्रतिभागियों जिनमें कनिष्ठ अभियन्ता, तकनिकी सहयोग व्यक्ति, सहायक रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला रसायनज्ञों को प्रशिक्षण दिया गया।
9. समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए वर्ष के दौरान प्रदेश में पहली बार 33874 जल स्त्रोतों का स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया गया।

10. जिला स्तरीय जल शक्ति प्रयोगशाला सोलन, चम्बा, हमीरपुर, नाहन और ऊना को NABL मान्यता प्रदान की गई हैं।

11. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की सहायता से राज्य स्तर पर 1200 पलम्बरों को जल आपूर्ति योजना का संचालन व रख–रखाव के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

12. प्रदेश में प्रभावी जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु राज्य स्तर पर राज्य परामर्शदाता, जिला परामर्शदाताओं एवं सहायक रसायनज्ञों को ISO/IEC 17025:2017 के अनुसार प्रयोगशाला प्रबन्धन प्रणाली एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

7.2 कम्प्यूटरीकरण

विभाग के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतू उप–मण्डल स्तर से मुख्यालय स्तर तक कम्पयूटर स्थापित किए गए हैं तथा विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। विभाग द्वारा स्थापित बैवसाईट (Website www.hpiph.org) को समय–समय पर अपडेट (Update) भी किया जा रहा है। कम्प्यूटरीकरण क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए गए :–

- उप–मण्डल व अनुभाग स्तर तक कम्प्यूटरीकरण हेतू कम्पयूटर / टेब उपलब्ध करवा दिए गए हैं।
- उप–मण्डल स्तर तक कम्प्यूटर ट्रेनिंग करवा दी गई है।
- ई–शिकायत निवारण सैल का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत मुख्यालय स्तर से मण्डल व उप–मण्डल स्तर पर भी शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। मुख्यालय स्तर पर गठित ई–शिकायत निवारण सैल में पेयजल सम्बन्धी शिकायतें दर्ज करवाने हेतु सेवा शुल्क रहित दूरभाष न0 1800–180–8009 भी स्थापित किया गया हैं।
- P-MIS मॉड्यूल्ज़ के अन्तर्गत विभाग के विभिन्न कार्यालयों में ई–सेवा पंजियों की प्रविष्टी का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- विभाग के सभी मण्डलों में वित्तीय मॉड्यूल्ज़ पर डाटा एन्ट्री का कार्य प्रगति पर है।
- 5.00 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों तथा 50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं की खरीद के लिए e-procurement प्रणाली के माध्यम से निविदाऐं आमंन्त्रित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- पानी के कुनैक्शन हेतु online आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

8 बाह्य सहायता

8.1 नेशनल हाईड्रोलॉजी परियोजना

जल शक्ति विभाग के विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत सिंचाई एवं जलापूर्ति योजनाओं की 60 Tubewell Automation (SCADA) का कार्य 09–12–2020 को आबंटित किया गया है और कार्य प्रगति पर है। नेशनल हाईड्रोलॉजी परियोजना के अन्तर्गत एक Purpose Driven Study (Water efficient Irrigation by using SCADA) जोकि एक Major Irrigation Project Shahnehar के लिए की जा रही है। यह Purpose Driven Study, NIH Roorkee की मदद से करवाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत Installtion of Soil Moisture & Temperature Sensor का कार्य प्रगति पर है।

Automatic Ground Water level Recording के 56 DWLP का कार्य आबंटित किया गया है और कार्य प्रगति पर है। Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) खरीद लिए हैं जिसके द्वारा नदियों का discharge मापा जा रहा है। RTDAS (Real Time Data Acquistion System) का कार्य आबंटित कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत ARG के 44 स्टेशन व AWS के 8 स्टेशन तथा AWLR के 9 स्टेशन स्थापित किये जाएंगे। जिसका कार्य प्रगति पर है। Hydrology Training Centre, Sidhpur का कार्य आबंटित कर दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है।

8.2 नाबार्ड सहायता

प्रदेश में चल रही विभिन्न सिंचाई बाढ़ एवं पेयजल योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए 3637.08 करोड़ रूपये (राज्य भाग 287.50 करोड़ रूपये सहित) नाबार्ड से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, नवें, दसवें, ग्यारहवें, बारहवें, तेहरवें, चौधवें, पन्द्रहवें, सोहलवें, सतारहवें, अठारहवें, उन्नीसवें, बीसवें, इक्कीसवें, बाइसवें, तेईसवें, चौबीसवें, पच्चीसवें व छब्बीसवें चरण में स्वीकृति प्राप्त की है जिससे 970 लघु सिंचाई योजनाएं, 57 बाढ़ नियन्त्रण कार्य व 1022 पेयजल योजनाएं हैं, इनमें से 663 लघु सिंचाई योजनाओं, 42 बाढ़ नियन्त्रण कार्य और 586 पेयजल योजनाएं क्रमशः 1005.93 करोड़, 410.31 करोड़ एवं 1354.04 करोड़ रूपये व्यय करके पूर्ण कर ली गई है। इससे 62457.29 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी गई है और 5138.43 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया गया है।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम

9.1 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2005 की धारा 5 और 19 के अन्तर्गत जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा विभिन्न प्रधिकारी नामोद्दिष्ट (designate) किए गए हैं :–

सरकार के स्तर पर

क्रम संख्या	लोक सूचना प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	अनुभाग अधिकारी 'क' व 'ख' अनुभाग, हि0 प्र0 सचिवालय ।	विशेष सचिव जल शक्ति, हि0 प्र0 सरकार ।
	प्रमुख अभियन्ता स्तर पर	
2.	अधिशाषी अभियन्ता,(क्रय भण्डार)	अधीक्षण अभियन्ता, (कार्य)
	प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)	
3.	अधिशाषी अभियन्ता, (रूपांकन)	
	मुख्य अभियन्ता (पी0एम0यू0)	
4.	अधिशाषी अभियन्ता,(रूपांकन)	
	मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय)स्तर पर	
5.	अधिशाषी अभियन्ता, (रूपांकन)	अधीक्षण अभियन्ता, (रूपांकन)
	वृत स्तर पर	
6.	अधिशाषी अभियन्ता, (रूपांकन)	अधीक्षण अभियन्ता,
	मण्डलीय स्तर पर	
7.	अधिशाषी अभियन्ता,	क्षेत्रीय स्तर के अधीक्षण अभियन्ता (रूपांकन)
	उप–मण्डलीय स्तर पर	
8.	सहायक अभियन्ता,	क्षेत्रीय स्तर के अधीक्षण अभियन्ता (रूपांकन)

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना उचित है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अण्डर चैप्टर–।। के अन्तर्गत नामोद्दिष्ट (designate) अधिकारियों का विस्तृत ब्यौरा अधिसूचना संख्या आई.पी.एच.(ए)1–1/2005 दिनांक 7.10.2005 द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम को सही रूप में कार्यान्वित करने के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनता की जानकारी के लिए कार्यालय की प्रत्येक मंजिल में सूचना प्राप्त करने के लिए विस्तृत जानकारी नोटिस के रूप में प्रदर्शित की गई है तथा सैक्शन 4(1) बी के तहत सूचना सम्बन्धित विवरण विभागीय web site hpiph.org पर भी उपलब्ध है।

9.2 सूचना अधिकार से सम्बन्धित प्रशिक्षण

सरकार तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों (लोक सूचना अधिकारी) को समय–समय पर प्रशिक्षण इत्यादि करवा रहा है ताकि सूचना अधिकार अधिनियम की शक्तियों तथा कर्तव्यों को सही रूप में कार्यान्वित किया जा सकें ।

10 लोक सेवा गारंटी एक्ट–2011

लोक सेवा गारंटी एक्ट–2011 के अन्तर्गत जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित विभिन्न सेवाओं के निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपलब्ध करवानें के लिए निम्नलिखित अधिकारी नामोदृष्ट (designate) किए गए हैं :–

क्र0 स0	सेवा /कार्य	नामोदृष्ट अधिकारी	सेवा उपलब्ध करवानें हेतू निर्धारित समय अवधि	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	पेयजल कुनेक्शन की स्वीकृति (घरेलू / कमर्शियल)	सम्बन्धित उप मण्डल के सहायक अभियन्ता	1 महीना	सम्बन्धित मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता	राज्य सूचना आयुक्त
2	**पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई योजनाओं में सूक्ष्म बाधा**				
i	बिजली के फेल होने के कारण	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	बिजली विभाग द्वारा बिजली बहाल करने के बाद पेयजल आपूर्ति एक दिन में	सम्बन्धित मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता	राज्य सूचना आयुक्त
ii	पम्पिंग मशीनरी में विभिन्न कारणों से खराबी अथवा मुरम्मत के कारण	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	तीन दिन	सम्बन्धित मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता	राज्य सूचना आयुक्त
iii	फिटिंग, युनियन, वाल्व, लाईन इत्यादि टूटने पर	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	पांच दिन	सम्बन्धित मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता	राज्य सूचना आयुक्त

iv	राइज़िंग मेन अथवा सामान्य हेडर/ संक्शन पाइप के फ्लैंजिज की पैकिंग फटने के कारण	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	पांच दिन	सम्बन्धित मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता	राज्य सूचना आयुक्त
v	राइजिंग मेन में रिसाव	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	पांच दिन	सम्बन्धित मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता	राज्य सूचना आयुक्त
3	**पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई योजनाओं में बड़ी बाधा**				
i	बिजली विभाग के ट्रांसफारमर के जल जाने तथा बिजली फेल हो जाने के कारण	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	एक दिन (बिजली विभाग द्वारा बिजली बहाली के बाद एक दिन पेयजल आपूर्ति की बहाली)	सम्बन्धित मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता	राज्य सूचना आयुक्त
ii	आसमानी बिजली के कारण बिजली के पुर्जों के जल जाने के कारण	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	3 दिन	सम्बन्धित मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता	राज्य सूचना आयुक्त
iii	वर्षा ऋतु में जमीन के धंस जाने के कारण	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	7 दिन (पाइपों का बिछाना या बाईपास सिस्टम बिछाना)	सम्बन्धित मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता	राज्य सूचना आयुक्त
iv	पम्प, मोटर तथा स्टैंडबाइ पम्प सेट के एक साथ खराब होने पर	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	7 दिन	सम्बन्धित मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता	राज्य सूचना आयुक्त

अनुबन्ध " क

हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के वृतों/ मण्डलों तथा उपमण्डलों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :–

क्र0 सं0	वृतों का नाम	मण्डलों का नाम	उप–मण्डलों का नाम
	हाईड्रोलोजी विंग शिमला–4		
		हाईड्रोलोजी ,निर्माण एवं रख–रखाव मण्डल शिमला–4।	हाईड्रोलोजी, निर्माण एवं रख–रखाव उप–मण्डल शिमला।
			हाईड्रोलोजी, निर्माण एवं रख–रखाव उप–मण्डल मण्डी ।
			हाईड्रोलोजी, निर्माण एवं रख–रखाव उप–मण्डल सन्तोखगढ़
			हाईड्रोलोजी, निर्माण एवं रख–रखाव उप–मण्डल नूरपुर।
			हाईड्रोलोजी, निर्माण एवं रख–रखाव उपमण्डल पालमपुर।
			हाईड्रोलोजी, निर्माण एवं रख–रखाव उपमण्डल नाहन।
	शिमला क्षेत्र		
1	**जल शक्ति वृत, शिमला–9**	जल शक्ति मण्डल, न0–1 शिमला।	जल शक्ति उप–मण्डल, न0–1 शिमला।
			जल शक्ति उप–मण्डल, सैन्ज।
			जल शक्ति उप–मण्डल, घणाहटी।
			जल शक्ति उप–मण्डल,कोटी।
		जल शक्ति मण्डल, मतियाना।	जल शक्ति उप–मण्डल, मतियाना।
			जल शक्ति उप–मण्डल, ठियोग।
			जल शक्ति उप–मण्डल, कुमारसैन।
			जल शक्ति उप–मण्डल, कोटगढ़।
		जल शक्ति मण्डल, नेरवा।	जल शक्ति उप–मण्डल, नेरवा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, चौपाल।
			जल शक्ति उप–मण्डल, कुप्पवी।
		जल शक्ति, शिमला ग्रामीण मण्डल, स्थित सुन्नी।	जल शक्ति उप–मण्डल, सुन्नी।
			जल शक्ति उप–मण्डल, गुम्मा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, धामी।
			जल शक्ति उप–मण्डल, जलोग।
2	**जल शक्ति वृत, रोहड़ू**	जल शक्ति मण्डल, रोहड़ू।	
			जल शक्ति उप–मण्डल, रोहड़ू।
			जल शक्ति उप–मण्डल, चिड़गांव।
			जल शक्ति उप–मण्डल, टिक्कर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, क्वार।

		जल शक्ति मण्डल, जुब्बल।	
			जल शक्ति उप–मण्डल, जुब्बल।
			जल शक्ति उप–मण्डल, कोटखाई।
			जल शक्ति उप–मण्डल, गुम्मा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, सरस्वती नगर।
3	**जल शक्ति वृत, नाहन**	जल शक्ति मण्डल, नाहन।	
			जल शक्ति उप–मण्डल, नाहन।
			जल शक्ति उप–मण्डल, जामटा।
			जल शक्ति उप–मण्डल,सरांहां।
			जल शक्ति उप–मण्डल, ददाहू।
			जल शक्ति उप–मण्डल, नारग।
		जल शक्ति मण्डल, नौहराधार।	जल शक्ति उप–मण्डल, राजगढ़।
			जल शक्ति उप–मण्डल, हरिपुरधार।
			जल शक्ति उप–मण्डल, नौहराधार ।
			जल शक्ति उप–मण्डल, संगराह।
			जल शक्ति उप–मण्डल, चन्दोल।
		जल शक्ति मण्डल, पांवटा साहिब।	
			जल शक्ति उप–मण्डल, पांवटा साहिब।
			जल शक्ति उप–मण्डल, पुरवाल।
			जल शक्ति उप–मण्डल, पातलियां।
			जल शक्ति उप–मण्डल, माजरा।
		जल शक्ति मण्डल, शिलाई।	जल शक्ति उप–मण्डल, कफोटा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, शिलाई।
			जल शक्ति उप–मण्डल, रोनाहट।
4	**जल शक्ति वृत रिकांग पिओ**	जल शक्ति मण्डल, रामपुर।	
			जल शक्ति उप–मण्डल, तकलेच।
			जल शक्ति उप–मण्डल, रामपुर नं0 1।
			जल शक्ति उप–मण्डल, सराहन।
			जल शक्ति उप–मण्डल, ननखड़ी।
		जल शक्ति मण्डल, काजा।	
			जल शक्ति उप–मण्डल, काजा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, ताबो।
		जल शक्ति मण्डल, रिकांग पिओ।	जल शक्ति उप–मण्डल, रिकांग पिओ।
			जल शक्ति उप–मण्डल, निचार।
			जल शक्ति उप–मण्डल, सांगला।
		जल शक्ति मण्डल, पूह।	
			जल शक्ति उप–मण्डल, पूह।
			जल शक्ति उप–मण्डल, यंगथग।
			जल शक्ति उप–मण्डल, अकपा।
5	**जल शक्ति वृत, सोलन**	जल शक्ति मण्डल, सोलन ।	जल शक्ति उप–मण्डल, नं0–1 सोलन।
			जल शक्ति उप–मण्डल, नं0– 3 सोलन

			जल शक्ति उप–मण्डल, कण्डाघाट।
			जल शक्ति उप–मण्डल, धर्मपुर।
		जल शक्ति मण्डल, नालागढ़।	जल शक्ति उप–मण्डल, नालागढ़
			जल शक्ति उप–मण्डल, नलकूप नालागढ़
			जल शक्ति उप–मण्डल, रामशहर।
		जल शक्ति मण्डल, बद्दी।	जल शक्ति उप–मण्डल, बद्दी।
			जल शक्ति उप–मण्डल, चंडी।
		जल शक्ति मण्डल, अर्की ।	जल शक्ति उप–मण्डल, अर्की।
			जल शक्ति उप–मण्डल, दाड़लाघाट।
			जल शक्ति उप–मण्डल, सपाटु।
		हमीरपुर क्षेत्र	
6	**जल शक्ति वृत, हमीरपुर**	जल शक्ति मण्डल हमीरपुर।	जल शक्ति उप–मण्डल, उहल ।
			जल शक्ति उप–मण्डल, हमीरपुर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, सुजानपुर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, नदौन।
			जल शक्ति उप–मण्डल, धनेटा।
7	**जल शक्ति वृत धर्मपुर**	जल शक्ति मण्डल, सरकाघाट।	जल शक्ति उप–मण्डल, सरकाघाट।
			जल शक्ति उप–मण्डल, बलद्वाड़ा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, भदरोटा।
		जल शक्ति मण्डल, धर्मपुर स्थित भराड़ी।	जल शक्ति उप–मण्डल, धर्मपुर ।
			जल शक्ति उप–मण्डल, सन्धोल।
			जल शक्ति उप–मण्डल, टिहरा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, मण्डप ।
		जल शक्ति मण्डल, चौंतड़ा	जल शक्ति उप–मण्डल, जोगिंन्द्रनगर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, लड़भड़ोल।
			जल शक्ति उप–मण्डल, चौंतड़ा।
		जल शक्ति मण्डल, बड़सर।	जल शक्ति उप–मण्डल, बडसर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, भोटा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, भोरंज।
			जल शक्ति उप–मण्डल, गलोड।
		जल शक्ति मण्डल, भोरंज।	जल शक्ति उप–मण्डल, भोरंज।
			जल शक्ति उप–मण्डल, लदरौर।
8	**जल शक्ति वृत, ऊना**	जल शक्ति मण्डल ऊना–1।	जल शक्ति उप–मण्डल, ऊना–1।
			जल शक्ति उप–मण्डल, मैहतपुर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, टाहलीवाल।
			जल शक्ति उप–मण्डल, हरोली।
		जल शक्ति मण्डल, थनाकलान, ऊना ।	जल शक्ति उप–मण्डल, गगरेट।

			जल शक्ति उप–मण्डल, बंगाणा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, बसाल नं0–2 ऊना ।
		जल शक्ति ट्यूबवेल मण्डल, गगरेट।	जल शक्ति उप–मण्डल, यांन्त्रिक गगरेट।
			जल शक्ति उप–मण्डल,टयूववैल गगरेट।
		जल शक्ति मण्डल, अम्ब।	जल शक्ति उप–मण्डल, अम्ब।
			जल शक्ति उप–मण्डल, भरवांई।
		भू–जल संगठन	
		बाढ़ नियन्त्रण मण्डल गगरेट।	स्वां नदी फ्लड मेनेजमैन्ट प्रोजेक्ट उप–मण्डल गगरेट।
			जल शक्ति उप–मण्डल, दौलतपुर।
9	**जल शक्ति वृत, बिलासपुर**	जल शक्ति मण्डल, घुमारवीं।	जल शक्ति उप–मण्डल, घुमारवीं।
			जल शक्ति उप–मण्डल, भराड़ी।
		जल शक्ति मण्डल, बिलासपुर।	जल शक्ति उप–मण्डल, बिलासपुर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, कन्दरौर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, स्वारघाट।
			जल शक्ति उप–मण्डल, जुखाला।
			जल शक्ति उप–मण्डल, बस्सी।
		जल शक्ति मण्डल, झण्डुता।	जल शक्ति उप–मण्डल, झण्डुता।
			जल शक्ति उप–मण्डल, कलोल।
		मण्डी क्षेत्र	
10	**जल शक्ति वृत, कुल्लु**	जल शक्ति मण्डल, केलांग।	जल शक्ति उप–मण्डल, केलांग।
			जल शक्ति उप–मण्डल उदयपुर।
		जल शक्ति मण्डल, कुल्लु नं0 1।	जल शक्ति उप–मण्डल, कुल्लु।
			जल शक्ति उप–मण्डल, शाट।
			जल शक्ति उप–मण्डल, शमशी।
		जल शक्ति मण्डल, कुल्लु नं0 2 स्थित भुन्तर (लारजी)।	जल शक्ति उप–मण्डल, बंजार।
			जल शक्ति उप–मण्डल, लारजी।
			जल शक्ति उप–मण्डल, बजौरा।
		जल शक्ति मण्डल, आनी।	जल शक्ति उप–मण्डल, आनी।
			जल शक्ति उप–मण्डल, निरमण्ड।
			जल शक्ति उप–मण्डल, निथर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, दलाश।
			जल शक्ति उप–मण्डल, शवाड।
		जल शक्ति मण्डल, कटराई।	जल शक्ति उप–मण्डल, मनाली।
			जल शक्ति उप–मण्डल, कटराई।
11	**जल शक्ति वृत, सुन्दरनगर**	जल शक्ति मण्डल, मण्डी।	जल शक्ति उप–मण्डल, मण्डी नं0 1।

			जल शक्ति उप–मण्डल, साईगलू।
			जल शक्ति उप–मण्डल, पनारसा।
		जल शक्ति मण्डल, सुन्दर नगर।	जल शक्ति उप–मण्डल, सुन्दर नगर।
			जल शक्ति उप–मण्डल कनैड टयूववैल।
			जल शक्ति उप–मण्डल, निहरी।
		जल शक्ति मण्डल, बग्गी।	जल शक्ति उप–मण्डल, बग्गी नं0 1।
			जल शक्ति उप–मण्डल, रिवालसर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, बग्गी नं0.2 मकैनीकल।
			जल शक्ति उप–मण्डल, बग्गी –1 (बल्ह वैली परियोजना)।
			–यथोपरि– बग्गी –2 (बल्ह वैली परियोजना)।
			जल शक्ति उप–मण्डल, गौहर।
		जल शक्ति मण्डल, पधर।	जल शक्ति उप–मण्डल, पधर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, कटौला।
		जल शक्ति मण्डल, करसोग।	जल शक्ति उप–मण्डल, करसोग।
			जल शक्ति उप–मण्डल, चुराग।
			जल शक्ति उप–मण्डल, कोटलू।
		जल शक्ति मण्डल, थुनाग।	
			जल शक्ति उप–मण्डल, थुनाग।
			जल शक्ति उप–मण्डल, छतरी।
			जल शक्ति उप–मण्डल, केलोघार।
			जल शक्ति उप–मण्डल, बाली चौकी।
			जल शक्ति उप–मण्डल, बागाचनोगी।
		धर्मशाला क्षेत्र	
12	**जल शक्ति वृत, धर्मशाला**	जल शक्ति मण्डल, धर्मशाला।	जल शक्ति उप–मण्डल, धर्मशाला।
			जल शक्ति मकैनिकल उप–मण्डल, धर्मशाला ।
		जल शक्ति मण्डल, शाहपुर।	जल शक्ति उप–मण्डल, शाहपुर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, कांगड़ा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, मनई।
			जल शक्ति उप–मण्डल, सीवरेज, कांगड़ा।
			जल शक्ति उप–मण्डल रानीताल।
		जल शक्ति मण्डल, पालमपुर।	जल शक्ति उप–मण्डल, पालमपुर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, पंचरूखी।
		जल शक्ति मण्डल, थुरल।	जल शक्ति उप–मण्डल, थुरल।

			जल शक्ति उप–मण्डल, लम्बागांव।
			जल शक्ति उप–मण्डल, डरोह।
			जल शक्ति उप–मण्डल, धीरा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, सुलह।
		जल शक्ति मण्डल, देहरा।	जल शक्ति उप–मण्डल,देहरा ।
			जल शक्ति उप–मण्डल,सुनैहत ।
			जल शक्ति उप–मण्डल,हरिपुरगुलेर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, खुंडियां।
			जल शक्ति उप–मण्डल, ज्वालामुखी।
		जल शक्ति मण्डल, नगरोटा बगवां।	जल शक्ति उप–मण्डल, नगरोटा बगवां।
			जल शक्ति उप–मण्डल, सरोतरी।
			जल शक्ति उप–मण्डल, टांडा।
		जल शक्ति मण्डल, जसवां–परागपुर ।	जल शक्ति उप–मण्डल, डाडासीबा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, रक्कड़।
		जल शक्ति मण्डल, बैजनाथ।	जल शक्ति उप–मण्डल, बैजनाथ।
			जल शक्ति उप–मण्डल, चढियार।
13	**जल शक्ति वृत, नूरपुर**	जल शक्ति मण्डल, नूरपुर।	जल शक्ति उप–मण्डल, नूरपुर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, जसूर।
		जल शक्ति फिना सिंह मध्यम सिं0 परियोजना मण्डल, सदवां।	फिना सिंह मध्यम सिं0 परियोजना उप मण्डल सुलियाली।
			फिना सिंह मध्यम सिं0 परियोजना उप मण्डल, लडोरी।
			फिना सिंह मध्यम सिं0 परियोजना उप मण्डल, लाहड़ू।
		जल शक्ति मण्डल, इन्दौरा।	जल शक्ति उप–मण्डल, इन्दौरा नं0–1।
			जल शक्ति उप–मण्डल, गगंथ।
			जल शक्ति उप–मण्डल, बड़ुखर।
		जल शक्ति मण्डल, ज्वाली।	जल शक्ति उप–मण्डल, ज्वाली।
			जल शक्ति उप–मण्डल, नगरोटा सूरीयां।
			सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना उप–मण्डल ज्वाली।
			सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना उप–मण्डल गुगलारा।
			जल शक्ति उप–मण्डल, कोटला।
		शाहनहर प्रोजेक्ट मण्डल संसारपुर टेरस।	शाहनहर प्रोजेक्ट उप–मण्डल संसारपुर टेरस।
			शाहनहर प्रोजेक्ट उप–मण्डल घण्डराण।

			शाहनहर प्रोजेक्ट उप–मण्डल ठाकुरद्वारा।
			शाहनहर प्रोजेक्ट उप–मण्डल बड़ुखर।
		जल शक्ति मण्डल, फतेहपुर।	जल शक्ति उप–मण्डल, फतेहपुर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, राजा का तालाब।
14	**जल शक्ति वृत चम्बा**	जल शक्ति मण्डल, चम्बा।	जल शक्ति उप–मण्डल, चम्बा नं0 1।
			जल शक्ति उप–मण्डल, उदयपुर ।
		जल शक्ति मण्डल, डल्हौजी।	जल शक्ति उप–मण्डल, बनीखेत।
			जल शक्ति उप–मण्डल, चवाड़ी।
			जल शक्ति उप–मण्डल, सिहुन्ता।
		जल शक्ति मण्डल, सलूनी।	जल शक्ति उप–मण्डल, सलूनी।
			जल शक्ति उप–मण्डल, भलई।
		जल शक्ति मण्डल, तीसा अधीन भजंराडू।	जल शक्ति उप–मण्डल, कोटी।
			जल शक्ति उप–मण्डल, तीसा।
		जल शक्ति मण्डल, भरमौर।	जल शक्ति उप–मण्डल, भरमौर।
			जल शक्ति उप–मण्डल, होली।
			जल शक्ति उप–मण्डल, धरवाला।
		जल शक्ति मण्डल, किलाड़ (पांगी)	जल शक्ति उप–मण्डल, किलाड़।
			जल शक्ति उप–मण्डल, साच (पांगी)।
15	**स्वां नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना, वृत, ऊना**	**बाढ़ संरक्षण मण्डल गगरेट।**	स्वां नदी बाढ़ प्रबन्धन, उप–मण्डल हरोली।
			बाढ़ नियन्त्रण उप–मण्डल गगरेट।
			बाढ़ नियन्त्रण उप–मण्डल अम्ब।

अनुबन्ध " ख "

जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश के रैगुलर कैडर स्टाफिंग पैटरन दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति

क्रम सं0	पद	स्वीकृत पदों की संख्या
1	प्रमुख अभियन्ता	2
2	मुख्य अभियन्ता	7
3	अधीक्षण अभियन्ता	22
4	अधिशासी अभियन्ता	96
5	सहायक अभियन्ता	319
6	वरिष्ठ भू–जल विज्ञानी (GWO,Una)	1
7	वरिष्ठ भू–जल विज्ञानी(SWO,Solan)	2
8	कनिष्ठ भू–जल विज्ञानी	2
9	कनिष्ठ जियोपिजिस्ट	1
10	कनिष्ठ जियोलोजिस्ट	2
11	प्रस्तोता	1
12	संयुक्त नियन्त्रक	1
13	सहायक नियन्त्रक	5
14	उप–निदेशक (विधि)	1
15	अधीक्षक ग्रेड–1 (तथा एक सतर्कता अधिकारी)	27
16	अधीक्षक ग्रेड–2	97
17	योजना अधिकारी	7
18	वृत मुख्य प्रारूपकार	16
19	मण्डलीय प्रारूपकार	71
20	प्रारूपकार	163
21	कनिष्ठ प्रारूपकार	179
22	निजि सहायक	6
23	आशुलिपिक	27
24	आशुटंकक	79
25	वरिष्ठ सहायक	589
26	लिपिक / ए0 एस0 डी0 सी0 आडिटर	474
27	मण्डलीय लेखाकार	58
28	कनिष्ठ अभियन्ता	804
29	विधि अधिकारी	6
30	जिलादार	2(प्रतिनियुक्ति द्वारा)
31	कानूनगो	2 (प्रतिनियुक्ति द्वारा)
32	रिस्टोरर	2
33	चालक नियमित	41
34	जमादार	15
35	दफतरी	14
36	चपडासी	507
37	चौकीदार	244
38	सफाई कर्मचारी	81
39	नायव तहसील दार	1 (प्रतिनियुक्ति द्वारा)
40	जी0 एंम0 ऑपरेटर	1

41	ए0डी0ओ	2 (प्रतिनियुक्ति द्वारा)
42	निजी सचिव	2
43	वरिष्ठ तकनिकी सहायक	20
44	सहायक जिला न्यायवादी	3
45	प्रोसैस इंजीनियर	5
46	एसिस्टैंट प्रोग्रामर	1
47	डाटा एन्टरी ऑपरेटर	4
48	जे0ए0ओ0 (आई0टी0)	149
49	लैव सहायक	45
	कुल	**4206**

अनुबन्ध " ग "

जल शक्ति विभाग में वर्कचार्ज ब्राट इन्टू रैगुलर लाइव कैडर कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का ब्यौरा :–

क्रम सं0	पद	स्वीकृत पदों की संख्या
1	पम्प ऑपरेटर	2775
2	ड्राईवर	173
3	फीटर ग्रेड–2	1183
4	मैसन	211
5	ब्लैक स्मिथ	6
6	इलैक्ट्रीशियन	97
7	फोरमैन	107
8	सहायक केमिस्ट	46
9	स्टोन ड्रैसर	2
10	ऑपरेटर	13
11	मकैनिक कम फीटर	27
12	पेन्टर	3
13	कारपैन्टर	8
14	वैलडर	2
15	वायरमैन	1
16	डोजर ड्राईवर	1
17	सहायक ड्रीलर	8
18	लैब टैक्निशियन	1
19	कार्य निरीक्षक	584
20	स्टोर क्लर्क	70
21	सर्वेयर	328
22	वाटर वर्कस कर्लक	209
23	आई0 बी0 सी0 पटवारी	56
24	कम्पलेन्ट अटैन्डेन्ट / लिपिक	119
25	फेरो प्रिन्टर	3
26	बेलदार	3779

27	पम्प अटैन्डैन्ट	1385
28	हैल्पर	259
29	मेट	20
30	माली	4
31	क्लीनर	14
32	लस्कर	0
33	चौकीदार	184
34	स्वीपर	19
35	लैव सहायक	45
36	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2
37	हैण्डपम्प मकैनिक / मकैनिक	3
38	केनाल इन्सपैक्टर	1
39	कम्पयुटर ऑपरेटर	4
40	पम्प ऑपरेटर हैल्पर	38
41	लैब हैल्पर	3
42	सहायक पलंम्बर	1
	कुलः—	**11794**

अनुबन्ध " घ "

जल शक्ति विभाग में डांईग काडर के कार्यरत पदों का व्यौरा :–

कम सं0	पद	स्वीकृत पदों की संख्या
1	पम्प ऑपरेटर	294
2	ड्राईवर	28
3	फीटर ग्रेड–2	136
4	मैसन	43
5	ब्लैक स्मिथ	2
6	इलैक्ट्रीशियन	18
7	फोरमैन	3
8	मकैनिक कम फीटर	1
9	पेन्टर	1
10	वैलडर	1
11	वायरमैन	3
12	कार्य निरीक्षक	143
13	स्टोर क्लर्क	13
14	सर्वेयर	28
15	वाटर वर्कस क्लर्क	46
16	आई0 बी0 सी0 पटवारी	5
17	कम्पलेन्ट अटैन्डेन्ट / लिपिक	40
18	फेरो प्रिन्टर	2
19	बेलदार	5446
20	पम्प अटैन्डैन्ट	5
21	हैल्पर	870
22	मेट	27
23	माली	9
24	क्लीनर	12
25	लस्कर	1
26	बोट ऑपरेटर	0
27	अपोलस्टर	0
28	चौकीदार	581
29	स्वीपर	6
30	सहायक स्टोर कीपर	2
	कुल	**7766**